| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / एल0आर0 / 1556 / 2006 / कोटा**<br>**रामपाल व अन्य बनाम तहसीलदार व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **<u>एकलपीठ</u>**<br>**श्री रामदयाल मीणा, सदस्य**<br><br>**उपस्थितः–**<br>श्री जगदीश नन्दवाना अधिवक्ता, प्रार्थीगण।<br>श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, उपराजकीय अधिवक्ता।<br>---<br><br>**निर्णय**<br>**दिनांकः–13.10.2022**<br><br>प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 की सपठित धारा 9 के अंतर्गत विद्वान तहसीलदार (भू–अभिलेख) पीपल्दा द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 17.10.2005 व कुर्की इश्तहार दिनांक 16–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।<br><br>प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, पीपल्दा ने पत्रांक 1573 दिनांक 17.10.2005 द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक, इटावा को ग्राम सोभागपुरा तहसील पीपल्दा के खसरा नंबर 10 रकबा 2.07 है0 तथा खसरा 87 रकबा 2.25 है0 से काबिज व्यक्तियों को बेदखल कर बहक सरकार दखल प्राप्त करने के निर्देश दिये । तत्पश्चात् दिनांक 16.01.2006 को विवादित आराजियात को मुनाफा काश्त पर नीलामी किये जाने हेतु नीलामी इश्तहार जारी किया । तहसीलदार, पीपल्दा के उक्त आदेशों से व्यक्ति होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है ।<br><br>निगरानी प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।<br><br>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–निगरानीकर्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, पीपल्दा, जिला कोटा का आदेश अधिकारहीन तथा शून्य है । तहसीलदार ने ग्राम सोभागपुर तहसील पीपल्दा की खसरा नंबर 10 की 2.07 है0 तथा खसरा नंबर 87 की 2.25 है0 से काबिज व्यक्तियों को बिना सूचित किए तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये कानून | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / एल0आर0 / 1556 / 2006 / कोटा**<br>**रामपाल व अन्य बनाम तहसीलदार व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | के सर्वमान्य सिद्धातों के विपरीत भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया है जो सर्वथा उनके क्षैत्राधिकार से बाहर है । विवादित भूमि मूर्ति मंदिर आशापुरा जी की खातेदारी की मानी है तथा खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण मानने पर धारा 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी को बेदखल करने का अधिकार है । तहसीलदार ने विवादित भूमि मूर्ति माताजी आशापुरा की खातेदार की मानते हुए निगरानीकार को बेदख लकर कब्जा लेने का आदेश देने में भारी त्रुटि की है जबकि विवादित भूमि माफी रिज्यूम होने के पश्चात् मूर्ति आशापुरा की खातेदारी की है या नहीं, इस बाबत् किसी सक्षम न्यायालय से निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि माफी रिज्यूम होने के पश्चात् नामांतकरण निगराकार के पिता के नाम से तस्दीक हुआ था तथा सेटलमेंट रिकार्ड में भी निगराकार के पिता बतौर खातेदार कृषक दर्ज है तथा बंदोबस्त द्वारा भूमि अवैध रूप से बिना अधिकार के मूर्ति के नाम दर्ज कर दी है । अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है जबकि राज्य सरकार ने केवल मात्र भूमि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है । अधी0न्यायालय के आदेश की पालना में भूमि पर खड़ी फसल नीलाम करने के आदेश दिये है जो अवैध तथा प्रभावहीन है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, पीपल्दा का आदेश व नीलामी आदेश निरस्त किया जावे ।<br><br>विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि विवादित आदेश निगराकार को बिना सूचित किए पारित किए है तथा भूमि पर निगराकार की फसल खड़ी है । इस कारण आदेश दिनांक को आदेश की जानकारी नही हो सकी थी । नीलामी के इश्तहार की जानकारी होने पर तहसील मे जाकर जानकारी की तथा नकल का प्रार्थना पत्र देने पर दिनांक 08.02.2006 को नकल प्राप्त हुई । तत्पश्चात् जानकारी से अंदर मियाद यह निगरानी पेश की है। निगरानी में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर निगरानी अंदर मियाद शुमार की जावे।<br><br>विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति आशापुरा की आराजियात है जिस पर प्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर रखा | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><br>**निगरानी / एल0आर0 / 1556 / 2006 / कोटा**<br>**रामपाल व अन्य बनाम तहसीलदार व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | था । मंदिर मूर्ति की भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । मंदिर मूर्ति की रक्षार्थ तहसीलदार ने प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए है जो विधिसम्मत् आदेश है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे ।<br>हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । हम न्यायहित में प्रार्थीगण को सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में निगरानी पेश करने में हुआ विलंब क्षम्य किया जाता है ।<br><br>प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली एवं आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात मंदिर मूर्ति आशापुरा की आराजियात है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से है । विधिनुसार मंदिर मूर्ति की आराजी पर किसी भी व्यक्ति कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है । तहसीलदार, पीपल्दा द्वारा न्यायालय कयये आदेश की पालना में विवादित भूमि का कब्जा राज लेने का आदेश भूमि मूर्ति मंदिर की होने के नाते पारित किया गया है । निगराकार/प्रार्थीगण द्वारा यह नहीं बताया गया है कि विवादित आराजी पर कब्जा किस आधार पर है तथा ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे इसकी पुष्टि होती हो । तहसीलदार, पीपल्दा द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है ।<br><br>परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा तहसीलदार (भू–अभिलेख) पीपल्दा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 एवं कुर्की इश्तहार आदेश दिनांक 16.01.2006 यथावत् रखे जाते है ।<br><br>पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(रामदयाल मीणा )**<br>**सदस्य** | |